

31-10-25

पजावली पेरा हुई, वकील प्राधी उपस्थित, तहसीलदार
मांडल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. फाकिफा
गया। रिपोर्ट में बताया गया कि निर्णय एंव डिर्की
की पालना में नामान्तरण सं० 425 दिनांक 7-2-23
को पालना की जा चुकी है प्रकरण में अब आगे कोई
कार्यवाही शेष नहीं है अतः प्रकरण इसी स्तर पर
डोप किया जाता है पजावली फ़ैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा